अब इलेक्ट्रिक कार से चलेंगे सीएम

सीएम के कारकेड में महिंद्रा की ईव्ही एसयूवी शामिल

सीएम हाउस से स्टेट हैंगर तक ईव्ही में ही गए सीएम

प्रशासनिक संवाददाता

भोपाल, 3 जून. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के कारकेड में बुधवार से ईव्ही वाहन शामिल हो गया है. सीएम राजधानी से दिल्ली रवाना हुए. दिल्ली जाने के लिए उन्होंने सीएम हाउस से स्टेट हैंगर तक ईव्ही वाहन की सवारी की.

ये पहली बार है कि प्रदेश का कोई सीएम ईव्ही वाहनों का उपयोग करेंगे. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की ईंधन बचाने की अपील के बाद मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने अपने कारकेड के वाहनों की संख्या को घटाकर पहले ही लगभग आधा कर चुके हैं. पहले वे 13 वाहनों के काफिले में चलते थे, लेकिन अब महज 7 वाहनों का काफिला ही कारकेड में शामिल किया गया है, जिसमें ये ईव्ही भी शामिल है. महेन्द्रा कंपनी की सफेद रंग की एक्सईव्ही 9ई एक प्रीमियम इलेक्ट्रिक एसयूवी है, इसकी रेंज 500 किमी से अधिक है. इस ईव्ही का नंबर भी बेहद दिलचस्प

है. इसे एमपी02 वीवी-2047 नंबर मिला है. दरअसल केंद्र सरकार ने वर्ष 2047 तक देश को विकसित बनाने का संकल्प रखा है, विकसित भारत 2047 को ध्यान में रखते हुए ही केंद्र और राज्य सरकार की योजनाएं और कार्यक्रम तैयार हो रहे हैं, वहीं आर्थिक विकास को रफ्तार भी इसी लक्ष्य को हासिल करने के लिए तेज किया जा रहा है. बताया जा रहा है कि इसी विजन से प्रेरित होकर यह नंबर लिया गया है.

सुरक्षा मानकों पर खरा उतरने के बाद किया शामिल

इसी ईव्ही को सीएम के कारकेड में शामिल करने से पहले मुख्यमंत्री सुरक्षा से जुड़े सभी मानकों पर खरा उतरने, फीचर्स की विधिवत् जांच एवं अन्य जरूरी प्रक्रियाओं का बारिकी से परीक्षण करने के बाद शामिल किया गया है, जिससे ये सुरक्षा के मानकों पर खरा उतरे और इससे यात्रा सीएम के लिए सुरक्षित रहे.

ईव्ही का उपयोग हम सभी के लिए हितकारी

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देशवासियों को ईंधन की अधिकतम बचत करने और मितव्ययतापूर्ण यात्रा के साधन अपनाने का संदेश दिया है. इससे देश एवं प्रदेश में ईंधन की बचत को बढ़ावा मिलेगा. मुख्यमंत्री ने कहा कि हम सभी का यह दायित्व है कि ऊर्जा एवं पर्यावरण संरक्षण के लिए सार्थक प्रयास करें. मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि हमारी सरकार राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को प्रोत्साहित कर रही है. ये ईवी न केवल ईंधन की बचत करते हैं, बल्कि पर्यावरण के लिए भी अत्यंत लाभकारी साबित होते हैं.

मतदाता सूची पुनरीक्षण का कार्य समय-सीमा में पूरा करें

सचिव राज्य निर्वाचन आयोग दीपक सिंह ने समीक्षा के दौरान कहा

प्रशासनिक संवाददाता

भोपाल, 3 जून. मतदाता सूची पुनरीक्षण का कार्य समय-सीमा में पूरा करें. सचिव राज्य निर्वाचन आयोग दीपक सिंह ने यह बात पंचायत एवं नगरीय निकायों की फोटोयुक्त मतदाता सूची के पुनरीक्षण कार्य की समीक्षा के दौरान कही.

सिंह ने जिलेवार लंबित दावे-आपत्तियों के निराकरण की स्थिति की समीक्षा की. उन्होंने कहा कि पुनरीक्षण कार्य में पूरी पारदर्शिता रहनी चाहिए.

सिंह ने कहा कि मतदाता सूची पुनरीक्षण के संबंध में जो भी कार्यवाही करें, उसकी जानकारी स्टेरिंग कमेटी की बैठक के माध्यम से जनप्रतिनिधियों के संज्ञान में जरूर लायें. उन्होंने वर्किंग और नानवर्किंग ईव्हीएम की जानकारी देने के निर्देश भी दिये.

उन्होंने कहा कि अंतिम मतदाता सूची को नियत समय पर जिले की वेबसाइट पर अपलोड करें. बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई. सचिव राज्य निर्वाचन आयोग शहडोल से वीसी में शामिल हुए.

एक नजर में

पुलिस ने 30 लाख के मोबाइल बरामद किए

शिवपुरी. जिले की साइबर सेल ने गुम और चोरी हुए 120 मोबाइल फोन बरामद कर उनके स्वामियों को वापस सौंप दिए. बरामद मोबाइल फोनों की अनुमानित कीमत लगभग 30 लाख रुपये आंकी गई है. पुलिस सूत्रों ने आज बताया कि साइबर सेल ने तकनीकी विश्लेषण और ट्रैकिंग के माध्यम से मध्यप्रदेश के विभिन्न जिलों के अलावा उत्तर प्रदेश, दिल्ली, बिहार, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब तथा महाराष्ट्र से मोबाइल फोन बरामद किए हैं. उन्होंने बताया कि बरामद किए गए सभी मोबाइल फोन गुम अथवा चोरी हो गए थे. साइबर सेल की कार्रवाई के बाद लोगों ने पहचान कर संबंधित लोगों को वापस सौंप दिया गया.

छात्रा की हत्या के विरोध में चक्काजाम

भिण्ड. जिले के झांकरी चौकी क्षेत्र की एक नाबालिग छात्रा के कथित अपहरण, सामूहिक दुष्कर्म और हत्या के मामले में ग्रामीणों द्वारा किया गया चक्काजाम देर रात प्रशासन और पीड़ित परिवार के बीच सहमति बनने के बाद समाप्त हो गया. इसके बाद आज छात्रा का अंतिम संस्कार किया गया. छात्रा का शव क्षेत्र में पहुंचने के बाद ग्रामीणों और समाज के लोगों ने सड़क पर शव रखकर प्रदर्शन शुरू कर दिया था. प्रदर्शनकारी पीड़ित परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी, आर्थिक सहायता, शस्त्र लाइसेंस तथा मामले की त्वरित सुनवाई की मांग कर रहे थे.

फिर बदला सरकारी स्कूल यूनिफॉर्म का नियम

01 से 8वीं कक्षा तक खातों में पैसे की जगह अब सीधे मिलेगी ड्रेस

सत्र 2026-27 से लागू होने की है उम्मीद

नवभारत प्रतिनिधि

भोपाल, 03 जून. प्रदेश सरकार के नए फैसले के तहत छात्र-छात्राओं के बैंक खातों में पैसा भेजने की बजाय उन्हें सीधे रेडीमेड यूनिफॉर्म खरीदकर दी जाएगी. वहीं विभाग अब राज्य के करीब 55 लाख बच्चों को सीधे यूनिफॉर्म देने की तैयारी में है. जिसे शैक्षणिक सत्र 2026-27 से प्रभावी करने की उम्मीद है.

स्कूल शिक्षा विभाग
मध्य प्रदेश शासन

2017 से अब तक 5 बार बदली यूनिफॉर्म वितरण की प्रक्रिया

2017 तक पहले बच्चों के खाते में दो जोड़ी यूनिफॉर्म के लिए 400 रुपये दिए जाते थे. 2018 में राशि में बढ़ोतरी कर 600 रुपये कर दिया गया. वहीं इसके कुछ समय बाद पैसे की जगह यूनिफॉर्म देने का निर्णय हुआ और वर्ष 2019 व 2020 में पंचायत विभाग के अंतर्गत आने वाले महिला स्व सहायता समूहों के माध्यम से यूनिफॉर्म तैयार कराई गई. लेकिन इन यूनिफॉर्म के साइज छोटे-बड़े निकलने की शिकायतें आईं. इसके बाद कोविड-19 महामारी के दौरान लॉकडाउन और फंड जारी होने में हुई देरी के चलते यह स्व सहायता समूह वाला मॉडल पूरी तरह चरमरा गया.

2021 से डीबीटी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) सिस्टम हुआ लागू

स्व सहायता समूह मॉडल के असफल होने के बाद सरकार ने 2021 में एक बार फिर बच्चों के बैंक खातों में सीधे 600 रुपये ट्रांसफर करने की व्यवस्था शुरू की. जिससे अभिभावक खुद कपड़ा खरीदकर स्थानीय दर्जियों से ड्रेस सिलवा सकें. पुरानी व्यवस्था में न तो कपड़ों की क्वालिटी सुनिश्चित हो पा रही थी और न ही एकरूपता. जिससे कई बच्चे स्कूलों में बेमेल या बिना तय मापदंड के कपड़े पहनकर आने लगे.

पारदर्शी और जवाबदेह सिस्टम हो तैयार

स्कूल शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि खरीद के लिए एक पारदर्शी और जवाबदेह सिस्टम बनाया जाए, ताकि हर जिले में समय पर यूनिफॉर्म पहुंच सके. इससे सरकारी धन के उपयोग में पारदर्शिता आएगी और ग्रामीण व जनजातीय क्षेत्रों के बच्चों में आर्थिक असमानता दूर होकर समानता और अनुशासन की भावना पैदा होगी.

डीजीपी मकवाणा ने घोषित किए प्रतिष्ठित पुरस्कार

उत्कृष्ट पुलिसकर्मियों का होगा सम्मान

विशेष संवाददाता

भोपाल, 3 जून. पुलिस महानिदेशक कैलाश मकवाणा ने वर्ष 2022-23 एवं 2023-24 के लिए मध्यप्रदेश पुलिस के प्रतिष्ठित के.एफ. रुस्तमजी पुरस्कारों की घोषणा कर दी है.

इन पुरस्कारों के माध्यम से पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा प्रदर्शित असाधारण साहस, नेतृत्व क्षमता, कर्तव्यनिष्ठा और पेशेवर उत्कृष्टता को सम्मानित किया जाएगा. मध्यप्रदेश पुलिस का यह पुरस्कार बल के सर्वोच्च सम्मानों में से एक माना जाता है. इसे उन अधिकारियों

एवं कर्मचारियों को प्रदान किया जाता है जिन्होंने दस्यु उन्मूलन, नक्सल विरोधी अभियानों, सांप्रदायिक तनाव की स्थितियों तथा गंभीर कानून-व्यवस्था संबंधी चुनौतियों का सामना करते हुए उल्लेखनीय साहस और नेतृत्व का परिचय दिया है. पुरस्कार तीन श्रेणियों में परम विशिष्ट, अति विशिष्ट और विशिष्ट में प्रदान किए जाते हैं. इसका उद्देश्य उत्कृष्ट सेवाओं को पहचान देना तथा पुलिस संगठन में समर्पण, साहस और श्रेष्ठ कार्य संस्कृति को प्रोत्साहित करना है. इसके अतिरिक्त अति विशिष्ट श्रेणी में छह अधिकारियों एवं कर्मचारियों तथा विशिष्ट श्रेणी में 35 पुलिसकर्मियों को पुलिसिंग, खुफिया सूचना संकलन, साइबर जांच, आतंकवाद निरोधक अभियानों और नक्सल विरोधी गतिविधियों में उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित किया जाएगा.

सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को बधाई...

पुरस्कार प्राप्त करने वाले सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को बधाई देते हुए पुलिस महानिदेशक मकवाणा ने कहा कि यह सम्मान केवल व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं, बल्कि मध्यप्रदेश पुलिस की पेशेवर दक्षता, जनसेवा के प्रति समर्पण और उत्कृष्ट कार्य संस्कृति का प्रतीक है. उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि सम्मानित अधिकारी और कर्मचारी भविष्य में भी अपनी सेवाओं से पुलिस बल की प्रतिष्ठा को और ऊंचाइयों तक पहुंचाएंगे.

वर्ष 2022-23 के लिए अति विशिष्ट श्रेणी में सहायक पुलिस आयुक्त निधि सक्सेना तथा उप निरीक्षक गौरव सिंह बुंदेला को सम्मानित किया गया है. वहीं विशिष्ट श्रेणी में विशेष अभियान, अपराध अनुसंधान, साइबर अपराध, महिला सुरक्षा तथा नक्सल विरोधी इकाइयों सहित विभिन्न शाखाओं के 24 अधिकारियों एवं कर्मचारियों को चयनित किया गया है. वर्ष 2023-24 के लिए परम विशिष्ट श्रेणी का सम्मान पूर्व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राकेश खाखा, उप पुलिस अधीक्षक नागेंद्र सिंह सिकरवार, निरीक्षक कंचन ठाकुर तथा एटीएस के राजेश कुमार और कमलेश सिंह को प्रदान किया गया है.

खराब मौसम पर घर से न निकलें : सियाज

नवभारत न्यूज

सिंगरौली 3 जून. जिले में बदलते मौसम और आंधी-तूफान के बढ़ते खतरे को देखते हुए सिंगरौली पुलिस ने आमजन की सुरक्षा के लिए जनहित एडवाइजरी जारी की है.

एसपी सियाज केएम के निर्देश में जारी इस एडवाइजरी में नागरिकों से सावधानी बरतने और मौसम विभाग के दिशा-निर्देशों का पालन करने की अपील की गई है. पुलिस ने कहा है कि वर्तमान मौसम परिस्थितियों में तेज हवा, बारिश, गरज-चमक और वज्रपात की संभावना बनी रहती है. ऐसे समय में

थोड़ी सी लापरवाही गंभीर दुर्घटना का कारण बन सकती है. नागरिकों से आग्रह किया गया है कि खराब मौसम के दौरान अनावश्यक रूप से घर से बाहर न निकलें तथा सुरक्षित स्थानों पर ही रहें. एडवाइजरी में विशेष रूप से चेतावनी दी गई है कि बिजली कड़कने के दौरान ऊँचे एवं अकेले पेड़ों के आसपास न रुकें.

जल संरक्षण को आंदोलन बना रही सरकार

वर्षाकाल के पूर्व जल संरचनाओं के आवश्यक-सुरक्षात्मक कार्य पूरे करें

मंत्री सिलावट ने विभागीय कार्यों की समीक्षा की

भोपाल, 3 जून. जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट ने कहा है कि प्रदेश में जल संरक्षण और पर्यावरण सुधार को जन आंदोलन का स्वरूप दिया जा रहा है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प और मुख्यमंत्री मोहन यादव के नेतृत्व में 'जल गंगा संवर्धन' तथा 'एक पेड़ मां के नाम' अभियान गांव-गांव और नगर-नगर में चलाए जा रहे हैं, जिनके सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं. वल्लभ भवन में विभागीय परियोजनाओं की

समीक्षा बैठक के दौरान मंत्री सिलावट ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वर्षाकाल से पहले सभी बांधों, नहरों, तालाबों और अन्य जल संरचनाओं की मरम्मत एवं सुरक्षात्मक कार्य हर हाल में पूरे किए जाएं. उन्होंने स्पष्ट कहा कि कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही अक्षम्य होगी. बैठक में विभिन्न कछारों की सिंचाई परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई. मंत्री ने आगामी 15 दिनों में सभी आवश्यक कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए.

साथ ही सिंहस्थ-2028 को ध्यान में रखते हुए उज्जैन क्षेत्र में चल रही परियोजनाओं की भी समीक्षा कर अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए.

अवैध रेत भंडारण पर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, 25 ट्रॉली रेत जब्त

नवभारत न्यूज

सीधी, 3 जून. जिले में अवैध खनन एवं भंडारण के विरुद्ध प्रशासन का अभियान लगातार जारी है.

कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी विकास मिश्रा तथा पुलिस अधीक्षक संतोष कोरी के निर्देशन में खनिज विभाग और पुलिस विभाग की संयुक्त टीम ने ग्राम निधिपुरी, तहसील म?वास में अवैध रेत भंडारण के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई करते हुए लगभग 25 ट्रॉली रेत जब्त की है. जिला खनिज अधिकारी कपिलमुनि शुक्ला के मार्गदर्शन में की गई इस कार्रवाई के दौरान ग्राम पंचायत धुम्माडोल के सरपंच, सचिव एवं ग्रामीणजन उपस्थित रहे. खनिज टेल के अवैध उत्खनन एवं भंडारण संबंधी लगातार प्राप्त शिकायतों के आधार पर संयुक्त दल ने ग्राम निधिपुरी के विभिन्न

स्थलों का निरीक्षण किया. जांच में विभिन्न स्थानों पर खनिज रेत लावारिस अवस्था में भंडारित पाई गई. मौके पर उपस्थित ग्रामीणों ने बताया कि निकट स्थित गोपद नदी घाट से आसपास के क्षेत्रों के लोगों द्वारा अवैध रूप से रेत का उत्खनन कर उसका भंडारण किया गया था. अधिकारियों द्वारा की गई पैमाइश में लगभग 25 ट्रॉली रेत का अवैध भंडारण पाया गया. संयुक्त दल ने नियमानुसार कार्रवाई करते हुए जब्त रेत को हाइवा वाहन के माध्यम से उठवाकर अभिरक्षा में लिया. मामले में अवैध खनन एवं उत्खनन में संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध मध्यप्रदेश खनिज (अवैध खनन, परिवहन तथा भंडारण का निवारण) नियम-2022 एवं मध्यप्रदेश खनिज रेत नियम-2019 के तहत प्रकरण तैयार कर अग्रिम कार्रवाई के लिए कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा.

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जिले में अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण के विरुद्ध सख्त कार्रवाई लगातार जारी रहेगी तथा खनिज संपदा के अवैध दोहन में संलिप्त व्यक्तियों को किसी भी स्थिति में बख्शा नहीं जाएगा.

सुरक्षा जागरूकता एवं स्वच्छता संदेश से प्रेरित हुईं जेम की बालिकाएँ

नवभारत न्यूज

विंध्यनगर 3 जून। एनटीपीसी विंध्याचल की बालिका सशक्तिकरण अभियान के अंतर्गत बालिकाओं के लिए एक विशेष संवाद सत्र का आयोजन किया गया, जिसमें महिला एवं बाल संरक्षण विभाग के चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर नीरज शर्मा ने व्यक्तिगत सुरक्षा, आत्मविश्वास, अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता तथा किसी भी समस्या के विरुद्ध निर्भीक होकर अपनी बात रखने के महत्व पर प्रकाश डाला.

संवादात्मक शैली में आयोजित इस सत्र ने बालिकाओं को खुलकर चर्चा करने का अवसर प्रदान किया तथा उन्हें अधिक जागरूक, आत्मविश्वासी एवं सशक्त बनने के लिए प्रेरित किया। साथ ही इस अवसर पर स्वच्छता पखवाड़ा के अंतर्गत जिला प्रशासन द्वारा आयोजित चित्रकला प्रतियोगिता में उत्साहपूर्वक भाग लेने वाली जेम की 63 बालिकाओं को प्रमाण-पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया।

Newspaper Advertisement for change of Name (Spouse)

I Inder Kali Parihar (Existing Name of Spouse as per change of Next of Kin Records/ Service Document) spouse of 13921067H HAVILDAR KEDAR PRATAP SINGH PARIHAR resident of VILL- SIJAHTA, TEH RAMPUR BAGHELAN 485001 have changed my Name from INDER KALI PARIHAR to INDERKALI PARIHAR vide Affidavit dated 03/06/2026 before Satna

नाम जन्म तिथि सुधार सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है मैं शांति देवी पति शिवकुमार शुक्ला निवासी माकान नं 81 ग़ाम कोतर पोस्ट ललितपुर नं 2 तहशील अमरपाटन जिला सतना म .प़. शपथ पूर्वक घोषणा करती हूं कि मेरे पुराने दस्तावेजों मार्कशीट में मेरा नाम शांति देवी और जन्मतिथि 25/07/1984 दर्ज है। परंतु मैंने आधार कार्ड में अपना नाम बदलकर सुनीता शुक्ला और जन्मतिथि 01/01/1983 कर ली हूं भविष्य में मुझे इसी नाम से जाना वा पहचाना जाये। सुनीता शुक्ला पत्ती शिवकुमार शुक्ला ग़ाम कोतर पो ललितपुर नं2अमरपाटन सतना मं .प़.

//इश्तहार प्रकाशन//

सर्व सामान्य को सूचित किया जाता है कि मेरे पक्षकार राजमणी मिश्रा पिता श्री रामकिशोर मिश्रा निवासी वार्ड नं. 19 देवधरा मैहर तहसील मैहर जिला मैहर म.प्र. ने श्रीमती कुसुम कुशवाहा पत्नी श्री लल्लू प्रसाद कुशवाहा उम्र 51 वर्ष निवासी मकान नं. 185 वार्ड नं. 02 मदन मोहन मालवीय वार्ड उदयपुर थाना व तहसील मैहर जिला मैहर म.प्र. के स्वामित्व की ग्राम अमडा तहसील मैहर स्थित आराजी क्र. 87/1/1/2 रकवा 0.393 हे. के विक्रय का सौदा दिनांक 14.3.2026 को जरिए रजिस्टर्ड अनुबंध पत्र के माध्यम से किया है व कुसुम कुशवाहा के द्वारा एडवांस की राशि भी प्राप्त की जा चुकी है, अत: ग्राम अमडा तहसील मैहर स्थित आराजी क्र. 87/1/1/2 रकवा 0.393 हे. के संबंध में कोई भी व्यक्ति अनुबंध पत्र या अन्य किसी प्रकार का लेख निष्पादित न करे अन्यथा उनकी स्वयं की जिम्मेदारी होगी.

भवदीय
किश्वर खान
अधिवक्ता
सिविल कोर्ट मैहर जिला मैहर म.प्र.

आरोप | **सरकारें किसानों की वास्तविक परेशानियों को दूर करने के बजाय केवल प्रचार आधारित अभियानों में व्यस्त**

किसानों की अनदेखी पर कुणाल चौधरी का हमला

विशेष संवाददाता

भोपाल, 3 जून. अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय सचिव कुणाल चौधरी ने बुधवार को किसानों की समस्याओं को लेकर केंद्र और राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकारें किसानों की वास्तविक परेशानियों को दूर करने के बजाय केवल प्रचार आधारित अभियानों में व्यस्त हैं.

भोपाल में आयोजित पत्रकार वार्ता में कुणाल चौधरी ने निमाड़ क्षेत्र में हाल ही में आए आंधी-तूफान से हुई तबाही के वीडियो साक्ष्य प्रस्तुत किए. उन्होंने बताया कि बुरहानपुर, खंडवा और खरगोन जिलों के कई गांवों में

केले की फसलें पूरी तरह बर्बाद हो गई हैं. शाहपुरा, खापा, धमनगांव, लोनी, बहादुरगढ़, बोलाना और दरियापुर सहित अनेक गांवों में तेज हवाओं के कारण केले के बागान धराशायी हो गए, जिससे किसानों को 150 करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान हुआ है. उन्होंने रायसेन में शुरू किए गए 'खेत बचाओ अभियान' की आलोचना करते हुए कहा कि मिट्टी पूजन और प्रतीकात्मक कार्यक्रम किसानों की समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते. किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य, सस्ती खाद, पर्याप्त बिजली, सिंचाई सुविधाएं और बढ़ते कर्ज से राहत की आवश्यकता है. उन्होंने राज्य सरकार की ऑनलाइन खाद वितरण और ई-टोकन व्यवस्था को भी किसान विरोधी बताते हुए कहा कि इससे किसानों को अनावश्यक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है तथा कई बार उन्हें खाद प्राप्त करने के लिए फसल संबंधी जानकारी बदलनी पड़ती है, जिससे बीमा और अन्य योजनाओं की पात्रता प्रभावित हो सकती है. कांग्रेस नेता ने फसल क्षति के सर्वेक्षण और मुआवजा व्यवस्था को भी अपर्याप्त बताते हुए आरोप लगाया कि केले की फसल को हुए वास्तविक नुकसान का आकलन नहीं किया जा रहा है. उन्होंने तत्काल 150 करोड़ रुपये का विशेष राहत पैकेज, मौसम आधारित फसल बीमा का विस्तार, सहकारी समितियों के कृषि ऋणों की माफी, गेहूं बोनस का भुगतान तथा वर्तमान खाद वितरण व्यवस्था समाप्त करने की मांग की. कुणाल चौधरी ने चेतावनी दी कि यदि किसानों की मांगों पर शीघ्र कार्रवाई नहीं की गई तो कांग्रेस प्रदेशव्यापी आंदोलन शुरू करेगी.

कुणाल चौधरी ने प्रदेश में केले की फसल के लिए मौसम आधारित फसल बीमा योजना नहीं होने पर भी सवाल उठाए. उन्होंने दावा किया कि केंद्रीय कृषि मंत्री के संसद में दिए गए उत्तर से स्पष्ट है कि वर्तमान और पूर्ववर्ती राज्य सरकारों ने किसानों को इस बीमा का लाभ दिलाने के लिए कोई पहल नहीं की.

CAPRI GLOBAL CAPITAL LIMITED

कैप्री ग्लोबल कैपिटल लिमिटेड

पंजीकृत एवं कॉर्पोरेट कार्यालय : 502, टॉवर-ए, पेनिनसुला बिजनेस पार्क, सेनापति बापट मार्ग, लोअर परेल, मुंबई-400013.

सर्किल ऑफिस : 9-बी, द्वितीय तल, पूसा रोड, नई दिल्ली-110060

मांग नोटिस

वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के अंतर्गत प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3(1) के साथ पठित। नीचे हस्ताक्षरकर्ता, वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (उक्त अधिनियम) के अंतर्गत कैप्री ग्लोबल कैपिटल लिमिटेड (सीजीसीएल) के प्राधिकृत अधिकारी हैं. उक्त अधिनियम की धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित, प्राधिकृत अधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अंतर्गत मांग नोटिस जारी किए हैं, जिसमें निम्नलिखित उधारकर्ता(ओं) (उक्त उधारकर्ता(ओं)) को, उन्हें जारी किए गए संबंधित मांग नोटिस(ओं) में उल्लिखित राशियों को चुकाने के लिए कहा गया है, जो नीचे भी दिए गए हैं. उपरोक्त के संबंध में, एक बार फिर, उक्त उधारकर्ता को इस नोटिस के प्रकाशन से 60 दिनों के भीतर सीजीसीएल को नीचे दर्शाई गई राशि का भुगतान करने के लिए कहा जाता है, साथ ही नीचे उल्लिखित तिथि से लेकर भुगतान और/या वसूली की तिथि तक लागू ब्याज भी देना होगा, जो उक्त उधारकर्ता द्वारा निष्पादित अन्य दस्तावेजों/लेखों के साथ पढ़े गए ऋण समझौते के तहत देय है. ऋण की उचित चुकौती के लिए सुरक्षा के रूप में, उक्त उधारकर्ता द्वारा सीजीसीएल को क्रमश: निम्नलिखित संपत्तियां गिरवी रखी गई हैं.

स. क्र.	उधारकर्ता/गारंटर का नाम	मांग सूचना तिथि और राशि	सुरक्षित संपत्ति (अचल संपत्ति) का विवरण
1.	(लोन खाता नं. 80400020726925 (रीवा ब्रांच) श्री रामजी गुप्ता (देनदार) श्रीमती पूजा गुप्ता, श्री केशरी प्रसाद गुप्ता (सह-देनदार)	14-5-2026 रु, 43,74,114/- 5-5-2026 तक	प्रॉपर्टी का वह पूरा टुकड़ा और पार्सल जिसमें ज़मीन और बिल्डिंग है, खसरा नंबर : 69/2 (S) एरिया 0.0240 हेक्टे. गाँव मौजा गंगातीरा, पटवारी हल्का 33, तहसील त्यौंथर, जिला रीवा, मध्य प्रदेश - 486223 में है. साइट के अनुसार सीमा : पूरब : सड़क, पश्चिम : खुली ज़मीन अन्य, उत्तर : H/P/O प्रयाग दीन पयासी, दक्षिण : H/O मुंसी सोनी '
2.	(लोन खाता नं. 80300005866121 (सतना शाखा) श्री शारदा प्रसाद गुप्ता (देनदार) श्रीममती सुनीता गुप्ता, श्रीमती महागिलाल गुप्ता (सह-देनदार)	14-5-2026 रु, 26,32,855/- 5-5-2026 तक	'प्रॉपर्टी का वह पूरा टुकड़ा और पार्सल जिसमें ज़मीन और बिल्डिंग है, आराजी खसरा नंबर 421/2, वार्ड नंबर 08, एरिया 504 sqft, गांधी चौक, मौजा कोठी, पटवारी हल्का नंबर 54/52, तहसील - कोठी, जिला सतना, मध्य प्रदेश-485666 में है. साइट के अनुसार सीमा : पूरब : गुलाब चंद का घर, पश्चिम : रोड, उत्तर : बैजनाथ खाचर की दुकान, दक्षिण : रोड.

यदि उक्त उधारकर्ता सीजीसीएल को पूर्वोक्त भुगतान करने में विफल रहते हैं, तो सीजीसीएल अधिनियम की धारा 13(4) और लागू नियमों के तहत उपरोक्त सुरक्षित परिसंपत्तियों के खिलाफ कार्यवाही करेगा, जो पूरी तरह से उक्त उधारकर्ताओं के लागत और परिणामों के जोखिम पर होगी। उक्त उधारकर्ताओं को अधिनियम के तहत पूर्वोक्त परिसंपत्तियों को सीजीसीएल की पूर्व लिखित सहमति के बिना बिक्री, पट्टे या अन्यथा के माध्यम से स्थानांतरित करने से प्रतिबंधित किया गया है. कोई भी व्यक्ति जो उक्त अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करता है या उल्लंघन करने के लिए उकसाता है, उसे अधिनियम के तहत कारावास और/या दंड का सामना करना पड़ेगा.

स्थान : रीवा, सतना
दिनांक : 4/6/2026

एसडी/- (प्राधिकृत अधिकारी)
कैप्री ग्लोबल कैपिटल लिमिटेड (सीजीसीएल) के लिए